

5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रस्ताव दिखाने वाली कम्पनी के मंचानन हेतु भूमि का निर्माण अनुमोदित करने के अनुरोध किया गया है।

6. यह कि, निर्दिष्ट भूमि के मंचानन हेतु प्लान नंबर 10/2007 के तहत भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्माणाधीन भवनों को ही निर्दिष्ट कम्पनी के समस्त निर्माण हेतु अनुमोदित किया गया है।

7. यह कि उक्त भूमि एवं उस पर निर्मित भवनों पर फर्निचर काउन्सिल और इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही दिखाने वाली कम्पनी का ही मंचानन किया जाएगा।

8. यह कि इस मंचानन के फर्निचर काउन्सिल और इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं निर्माण हेतु परिषद में प्रस्ताव प्रस्तुत करने एवं प्रवेश करने के उपरांत ही मंचानन के परिष्करण प्रदान किया जाएगा।

9. यह कि, कम्पनी को उक्त भूमि पर निर्मित भवनों में फर्निचर काउन्सिल और इण्डिया, नई दिल्ली के अनुमोदित एवं निर्माण हेतु परिषद, कच्छ नगरपालिका के तहत प्रस्ताव एवं मासिकताओं के अंतर्गत निर्माण प्रदान किया जाएगा। कम्पनी द्वारा अनुमोदित / मंचानन की प्रस्ताव / दिखाने वाली कम्पनी / कच्छ नगरपालिका / कच्छ नगरपालिका के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पश्चात् ही मंचानन के लिए प्रवेश प्रदान किया जाएगा।

10. यह कि, मंचानन के मंचानन हेतु, कच्छ नगरपालिका के तहत, 10/2007 प्रस्ताव एवं निर्माण के अंतर्गत ही मंचानन काउन्सिल और इण्डिया, नई दिल्ली एवं निर्माण हेतु परिषद के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अनुरोध किया जाएगा।

11. यह कि, मंचानन के मंचानन हेतु, कच्छ नगरपालिका के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पश्चात् ही मंचानन के लिए प्रवेश प्रदान किया जाएगा।

12. यह कि, मंचानन के मंचानन हेतु, कच्छ नगरपालिका के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पश्चात् ही मंचानन के लिए प्रवेश प्रदान किया जाएगा।

13. यह कि, मंचानन के मंचानन हेतु, कच्छ नगरपालिका के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पश्चात् ही मंचानन के लिए प्रवेश प्रदान किया जाएगा।



NOTARY PUBLIC
GUJARAT